राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 12(12) ग्रा.वि./नरेगा/ज्ञापन/2010 जयपुर, दिनांक 16 AUG 2011

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदारत कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।
संदर्भ : महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संगठन जिला अलवर का पत्र क्रमांक महानरेगा/40 दिनांक 27.07.2011

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संगठन जिला अलवर द्वारा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं यथा आधे दिन का अवकाश, अवकाशों की गणना, अवैतनिक अवकाश एवं कार्यालय समय के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. योजनान्तर्गत कार्यरत नरेगा कार्मिकों को आधे दिन का अवकाश दिया जा सकता है।
2. कार्मिकों को देय 15 आकस्मिक अवकाशों की गणना अनुबन्ध अवधि के अनुसार ही 1 मार्च से 28 फरवरी तक की जायेगी।
3. कार्मिकों को अवैतनिक अवकाश का अधिकार नही है।
4. संविदा कार्मिकों के लिए भी कार्यालय समय प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक रहेगा।

भवदीय

(बद्रीनारायण)
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस

प्रतिलिपि : –

1. महात्मा गांधी नरेगा कर्मचारी संगठन जिला अलवर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ईजीएस जिला पाली को उनके पत्रांक एफ ( )जिपपा/महानरेगा/संस्था/10/139 दिनांक 14.01.2011 के संदर्भ में।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस